



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 718]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 27, 2008/ज्येष्ठ 6, 1930

No. 718]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 27, 2008/JYAISTHA 6, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2008

का.आ. 1226(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय बॉयलर (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का 49) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 27 मई, 2008, को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

- (1) धारा 2;
- (2) धारा 3 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) और उप-धारा (4) के खंड (गगड) और खंड (गगच) तथा उप-धारा (5), उप-धारा (6) और उप-धारा (7);
- (3) धारा 4;
- (4) धारा 5, जहां तक इसका संबंध मूल अधिनियम की धारा 4क से है;
- (5) धारा 8 का खंड (ख);
- (6) धारा 9 का खंड (क);
- (7) धारा 10;
- (8) धारा 15;
- (9) धारा 16 का खंड (क);
- (10) धारा 17;
- (11) धारा 20 से धारा 26;
- (12) धारा 27 के खंड (ii) से खंड (v)
- (13) धारा 28; और
- (14) धारा 29।

[फा. सं. 6/11/2004—बॉयलर]

गोपाल कृष्ण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2008

S.O. 1226(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Indian Boilers (Amendment) Act, 2007 (No. 49 of 2007), the Central Government hereby appoints the 27th day of May, 2008 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely :—

1. Section 2;
2. Sub-section (1), sub-section (2) and clauses (cce) and (ccf) of sub-section (4) and sub-section (5), sub-sections (6) and (7) of Section 3;
3. Section 4;
4. Section 5 insofar as it relates to Section 4A of the Principal Act;
5. Clause (b) of Section 8;
6. Clause (a) of Section 9;
7. Section 10;
8. Section 15;
9. Clause (a) of Section 16;
10. Section 17;
11. Section 20 to Section 26;
12. Clauses (ii) to (v) of Section 27;
13. Section 28; and
14. Section 29.

[F. No. 6/11/2004-Boilers]

GOPAL KRISHNA, Jt. Secy.